जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बैकलॉग) के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु

–:: आम सूचना ::–

विज्ञापन (सं.–01/2023–24)

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक– 4729, दिनांक 04.06.2007, संकल्प ज्ञापांक–6440, दिनांक –17.07.2012 नियुक्ति सेवा शर्त्त कर्त्तव्य(संशोधन) नियमावली, 2012 एवं ज्ञापांक–848, दिनांक–21.03.20217 एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रॉची के संकल्प 1617 दिनांक 17.03.2023 के आलोक में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित सृजित पद यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी **(बैकलॉग)** के रिक्त पदों पर नियुक्ति (पूर्णतया संविदा के आधार पर) की जानी है। रिक्त पदों की विवरणी निम्नवत् है :–

पदनाम	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अत्यं0 पि0 वर्ग	पिछड़ा वर्ग	आ0 क0व0	कुल पद
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	0	1	1	0	0	0	2

❖ नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा जिला हेतू निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।

2. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार करने के लिए आवश्यक योग्यताधारी/अहर्ताधारी व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

योग्यता :–

पद	शैक्षणिक योग्यता
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	1. **अनिवार्य योग्यता** – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण, जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकते है। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा। ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। 2. **अतिरिक्त योग्यता** – (a)सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यतायें मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा कर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाएगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0

	कम्प्यूर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जाऐगा। (b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।

उपर्युक्त वर्णित सभी शैक्षणिक योग्यताएँ जिसकी सरकार से मान्यता प्राप्त हो, ही मान्य होंगी।

1. **आयु सीमा** :– उपर्युक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा भर्ती के समय राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी **(सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प 7636, रॉची दिनांक 12.10.18)**। आयु सीमा दिनांक **01.08.2023** को न्यूनतम् 18 वर्ष एवं अधिकतम् :–

क्रम	**कोटि**	**सामान्य अधिकत्तम आयु सीमा**
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

2. **परिलब्धि – प्रधान सचिव, ग्रा0वि0वि0, झारखंड, रॉची के संकल्प संख्या N 1028 दिनांक 04.08.2022 द्वारा निम्न विवरणी के अनुसार मासिक संविदा राशि देय होगी तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रॉची द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित देय होगी।**

पदनाम	**Monthly Honorarium (In Rs.) for Less than 5 years Experience**	**Monthly Honorarium (In Rs.) for 5 years or more Experience**
प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	23140.00	23700.00

5. <u>नियुक्ति हेतु शर्तें</u> :–

1. **राष्ट्रीयता** – आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. **आरक्षण** – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रोस्टर बोकारो जिला के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में दिशा–निर्देश निम्नवत् है :–

   क) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र :– आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यार्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

   अथवा

   कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5772 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा एवं दिनांक 02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

   ख) जाति प्रमाण पत्र :– झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में जिला के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

   अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

3. सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, **रॉची का पत्रांक 5994 दिनांक 18.08.2009** द्वारा उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता/प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसकी वैधता दो वर्ष रहेगी।
4. सभी शैक्षणिक योग्यतायें राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान यथा UGC/AICTE/ DEB(Distance Education Bureau) से मान्यता प्राप्त संस्थान का ही मान्य होगा।
5. (i) अभ्यर्थी के द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा तथा आवेदन के साथ यह शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) देना होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

   (ii) अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन समर्पित कर सकेगा।
6. इन पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसी नियुक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा ना ही अभ्यार्थी इस संबंध में दावा कर सकते है।
7. उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदकों की प्रारम्भिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों की दुगुनी से अधिक संख्या में "प्रारंभिक मेधा सूची" से अभ्यार्थियों को नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा साक्षात्कार/तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकतानुसार लिखित एवं दक्षता परीक्षा ली जा सकती है।
8. प्रारम्भिक चरण में इनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
9. संविदा के आधार पर नियुक्ति नियमावली मार्गदर्शिका का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
10. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी **(बैकलॉग)** के पदों पर चयन बोकारो जिला के लिए किया जायेगा, यह पद जिला स्तरीय होगा। इन दो पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन संबंधित जिला के किसी भी प्रखण्ड में करने के लिए उपायुक्त, बोकारो सक्षम होंगे एवं उनका निर्णय बाध्यकारी होगा।
11. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नही हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।
12. आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी।
13. अभ्यार्थी का किसी अंक प्रमाण पत्र में ग्रेड/सी.जी.पी.ए. का उल्लेख हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से उसे अंक/प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
14. जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियुक्ति हेतु तैयार मेधा सूची से अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र का सत्यापन इत्यादि गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।
15. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

16. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी।

17. अहर्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधी अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

18. अभ्यार्थी ऑनलाईन समर्पित किये गये आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति–प्रमाण पत्र, शपथ पत्र **(मूल में)** एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का डाउनलॉड/प्रिंट निकालकर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। समर्पित किये जाने वाले लिफाफे के उपर निम्न विवरणी अंकित करेंगे :–

- विज्ञापन संख्या
- आवेदित पद का नाम (बड़े–बड़े अक्षरो में)।
- आवेदक का नाम
- **पता – उप विकास आयुक्त–सह– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, बोकारो**
  कैम्प –II, समाहरणालय , बोकारो
  डी.आर.डी.ए. कार्यालय, पिन– 827001

19. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन में समर्पित आवेदन एवं दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होगा एवं इसी दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि (दिनांक 04.10.2023) तक कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा।

20. **उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (https://applyrdd.jharkhand.gov.in) के माध्यम से दिनांक 18.09.2023 से 04.10.2023 तक समर्पित कर सकते है।**

11.9.23

उपायुक्त,
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बोकारो

आवेदन पत्र का प्रपत्र

पद का नाम :– प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी

1. अभ्यर्थी का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. स्थायी पता ....
   ....
4. वर्त्तमान पता ....
   ....
   ....
5. मोबाईल नम्बर ....
6. जन्म तिथि...(मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र के अनुसार)
   01.08.2023 को उम्र :– दिन .... माह .... वर्ष ....

7. लिंग..................................
8. दिव्यांग.........................(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो प्रमाण–पत्र की छायाप्रति)
9. दिव्यांगता का प्रतिशत ....
10. शपथ–पत्र ....(हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मूल रूप में संलग्न करें)
11. स्थानीयता .... (झारखंड का निवासी हैं, तो आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. कोटि...................................अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–2) का प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
13. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–**

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	किसी भी संकाय/ विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।					

14. **अतिरिक्त योग्यता –**

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम	उत्तीर्णता वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का %
1	एम0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम/ पी0जी0डी0आर0डी0					
2	बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स					
3	एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान)					

(नोट– अनिवार्य योग्यता से संबंधित डिग्री को अतिरिक्त योग्यता में दर्ज नहीं करें।)

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।

स्थान –

दिनांक–

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

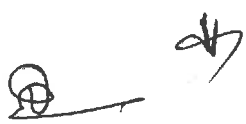

शपथ पत्र प्रारूप (नोटरी द्वारा निर्गत)

विज्ञापन संख्या ....
पद का नाम :– ....

1. अभ्यर्थी का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. स्थायी पता ....
   ....
4. वर्त्तमान पता ....
   ....
   ....

घोषणा

मै, ...पिता/पति ....द्वारा मनरेगा अंतर्गत .... पद हेतु सिर्फ बोकारो जिला में ही आवेदन समर्पित किया हूँ। मेरे द्वारा झारखंड राज्य अंतर्गत किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि मेरा शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो मेरी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा मेरे विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

स्थान –

दिनांक–

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर